प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम गाजियाबाद। ,

पत्रांकः–मु0चि0अधि0 / रा0तम्बा0नि0प्रको0 / 2020–21 / 2673 दिनांक 22.06.2021

**विषय : सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 मे निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में वैन्डर लाईसेन्सिंग (Vendor Licensing) व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बंध मे।**

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 8927 दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से डा0 रजनीश दुबे, अपर, मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1080 / नौ–9–21–121ज / 20, दिनांक 08 जून, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करे, (छायाप्रति संलगन) जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1950) की धारा–437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड–घ, धारा–452 और धारा–541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 (कोटपा अधिनियम–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम के सभी क्षेत्रों के वैन्डर लाईसेन्सिंग (Vendor Licensing) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप जनपद गाजियाबाद के समस्त नगर निगम /स्थानिय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद गाजियाबाद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में वैन्डर लाईसेन्सिंग (Vendor Licensing) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्लकः–यथोपरि।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांकः– मु0चि0अधि0 / रा0तम्बा0नि0कार्य0 / 2020–21 / तद्दिनांक

1. महानिदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ ऊ0प्र0 ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन।
4. राज्य एन0सी0डी0, सेल लखनऊ उत्तर प्रदेश।
5. जिला अधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
6. नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 सेल गाजियाबाद।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप जनपद गाजियाबाद में लाइसेसिंग प्रणाली लागू किये जाने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे।
8. डा0 आशुतोष गौतम जनपद सलाहकार एन0टी0सी0पी0 को इस आशय से निर्देशित की उपरोक्त कार्यवाही को सूचारू रूप से कराया जाना सुनिश्चित करे

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद।